



बिहार सरकार



विकसित बिहार के 7 निश्चय

“आर्थिक हल, युवाओं को बल”

के अंतर्गत

बिहार के युवाओं के लिए राज्य सरकार की अभूतपूर्व पहल



मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना

इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1000 रु० प्रतिमाह की दर से स्वयं सहायता भत्ता 2 वर्षों के लिए दी जाएगी।

योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अहर्तायें एवं शर्तें

- बिहार राज्य के निवासी 20-25 वर्ष के आयु वर्ग में आनेवाले वैसे बेरोजगार युवा जो अध्ययनरत नहीं हों तथा रोजगार की तलाश कर रहे हों एवं जिनकी शैक्षणिक योग्यता राज्य में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर (12वीं) उत्तीर्ण हों परन्तु उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किए हों, को इस योजना का लाभ अनुमान्य होगा।
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो तथा उसके पास स्वरोजगार नहीं हों।
- आवेदक को किसी अन्य सरकारी स्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृत्ति/स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड/शिक्षा ऋण या किसी भी प्रकार का सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हो एवं उसे किसी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी नियोजन (अनुबंध/स्थायी/अस्थायी रूप से) प्राप्त नहीं हो।
- आवेदक को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित भाषा संवाद एवं बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान (कुशल युवा कार्यक्रम) का अनिवार्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

आवश्यक कागजात

- 10वीं तथा 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण-पत्र।
- आवासीय प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड।
- किसी अनुसूचित बैंक में आवेदक के नाम से बैंक खाता हो।

2 अक्टूबर, 2016

से शुभारंभ

इस योजना का सुगमतापूर्व लाभ लेने हेतु इच्छुक युवा अपना आधार कार्ड एवं आवासीय प्रमाण-पत्र बनवा लें। किसी अनुसूचित बैंक में अपना खाता खुलवा लें एवं अपना ई-मेल आईडी बना लें।

आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी जिसकी विस्तृत जानकारी आगामी अंको में प्रकाशित की जाएगी।

योजना की विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.prdbihar.gov.in पर उपलब्ध है।

योजना एवं विकास तथा सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी